भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1390
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत केंद्रीय सहायता में वृद्धि

1390. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वर्तमान केंद्रीय सहायता एक बुनियादी पक्के घर के निर्माण के लिए अपर्याप्त है;

(ख) क्या बढ़ती निर्माण लागत के अनुरूप सहायता के केंद्रीय हिस्से को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संशोधन के लिए प्रस्तावित समय -सीमा क्या है; और

(घ) वर्तमान वित्त वर्ष के लिए पीएमएवाई -जी के अंतर्गत विशेषकर केरल के लिए , आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डा. चंद्रशेखर पेम्मासानी)

(क) से (ग): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास " के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-जी के तहत मार्च 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के आवासों के निर्माण का लक्ष्य था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले पांच वर्षों के लिए अर्थात वित्तीय वर्ष 2024-2025 से 2028-29 तक 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है , जिसमें मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) राज्यों तथा पहाड़ी राज्यों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र सहित) में 1.30 लाख रुपये की मौजूदा इकाई सहायता

है। इकाई सहायता के अतिरिक्त , लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ अनिवार्य अभिसरण के माध्यम से वर्तमान दरों पर 90/95 श्रम दिवसों की अकुशल श्रम मजदूरी प्रदान की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा या अन्य समर्पित वित्त पोषण स्रोतों के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए 12,000/- रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण हेतु मौजूदा इकाई सहायता के अनुसार पीएमएवाई-जी को मार्च, 2029 तक जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है। पीएमएवाई -जी के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली इकाई सहायता केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी के अनुसार है और वर्तमान में , इकाई सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(घ) योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, पिछले वर्ष के निष्पादन–निर्माण हेतु लंबित आवासों और उपलब्ध निधियों का उपयोग तथा वर्तमान वर्ष में आवंटित लक्ष्य के आधार पर प्रत्येक राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के लिए वार्षिक वित्तीय आवंटन तय किया जाता है। राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संबंधित राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर लक्ष्यों तथा बजट का आवंटन किया जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान , 17.06.2025 तक 18 राज्यों को निधियां आवंटित की गई है, जिन्हें योजना के नए चरण के तहत लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। पीएमएवाई -जी के तहत 17.06.2025 तक वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित वार्षिक वित्तीय आवंटन का राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत केंद्रीय सहायता में वृद्धि के संबंध में लोक सभा में दिनांक 29.7.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1390 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिनांक 17.06.2025 तक अनुमानित वार्षिक वित्तीय आवंटन का राज्यवार विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 17.06.2025 तक अनुमानित वार्षिक वित्तीय आवंटन
1	असम	5470.51

2	बिहार	4503.34
3	छत्तीसगढ़	4087.15
4	गुजरात	736.04
5	हरियाणा	312.85
6	हिमाचल प्रदेश	217.23
7	झारखंड	1522.55
8	केरल	1021.70
9	मध्य प्रदेश	8083.79
10	महाराष्ट्र	12698.02
11	मणिपुर	46.18
12	ओडिशा	474.11
13	पंजाब	173.19
14	राजस्थान	3291.37
15	तमिलनाडु	1047.35
16	उत्तर प्रदेश	287.58
17	आंध्र प्रदेश	3.70
18	कर्नाटक	3497.93
कुल		**47474.58**

****